न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 142/2019

अनवान :

1. विनोद कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भांदरा।
2. मंजु पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. राजबाला पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग: **वादी**
वकील श्री रोहताष शर्मा :**प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 06.08.2019**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता संख्या 184/188 के खसरा सं. 213/1 की 3.9710 हैक्टर, खसरा सं. 219/2 की 2.7950 हैक्टर, खसरा सं. 558 की 4.5270 हैक्टर कुल 11.2930 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2071–71 संलग्न दावा है। यही बिनाय दावा है।

उपर वर्णित कृषि भूमि में खसरा सं. 213/1 की 3.9710 हैक्टर, खसरा सं. 219/2 की 2.7950 हैक्टर कुल 6.766 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिकी सम्पति है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में परिवार कर्ता खानदान होने के नाते दर्ज हो गई । उपर वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ–साथ वादी एवं प्रतिवादिया सं. 2 व 3 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। वादभूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ–साथ वादी एवं प्रतिवादिया सं. 2 व 3 भी बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादिया संख्या 2 व 3 ने वादभूमि में से अपना अपना हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर दिया है। चुंकि खसरा सं. 558 की 4.5270 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 की स्व अर्जित कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 का कोई हक हिस्सा नही है। इसलिये वादी यह घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है कि खसरा सं. 213/1 की 3.9710 हैक्टर व खसरा सं. 219/2 की 2.7950 हैक्टर कुल 6.766 हैक्टर कृषि भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 के साथ–साथ वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 अपना राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 4 राज पैरोकार ने अपना जवाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में विनोद कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2071–74 मलसीसर खाता संख्या 184/188 प्रदर्श 1,जमाबंदी मलसीसर सम्वत 2051 खाता संख्या 148/146 प्रदर्श 2,वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मलसीसर प्रदर्श 3, प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा मलसीसर के खाता संख्या 184/188 के खसरा सं. 213/1 की 3.9710 हैक्टर व खसरा सं. 219/2 की 2.7950 हैक्टर कुल 6.766 हैक्टर कृषि भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि होना व वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2071–74 मलसीसर खाता संख्या 184/188 प्रदर्श 1,जमाबंदी मलसीसर सम्वत 2051 खाता संख्या 148/146 प्रदर्श 2, प्रदर्शित करवाये है। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने भी राजीनामा के अनुसार वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से सहमत है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी साबित होना पाया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनमा साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता संख्या 184/188 के खसरा सं. 213/1 की 3.9710 हैक्टर व खसरा सं. 219/2 की 2.7950 हैक्टर कुल 6.766 हैक्टर कृषि भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र के नाम से खातेदारी दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र के बजाय वादी विनोद 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 महेन्द्र 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। खसरा सं. 558 की 4.5270 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं.1 के नाम यथावत दर्ज रखा जावे। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)

सहायक कलक्टर

(फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 142/2019

अनवान :

1. विनोद कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. मंजु पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. राजबाला पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण रोहताष शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वाद वादी मुताबिक राजीनमा साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता संख्या 184/188 के खसरा सं. 213/1 की 3.9710 हैक्टर व खसरा सं. 219/2 की 2.7950 हैक्टर कुल 6.766 हैक्टर कृषि भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र के नाम से खातेदारी दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र के बजाय वादी विनोद 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 महेन्द्र 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। खसरा सं. 558 की 4.5270 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं.1 के नाम यथावत दर्ज रखा जावे। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़